प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल, स्थित चन्दौसी।

प्रशासनिक आदेश संख्या : 78 /2021, दिनांक–27.04.2021

आदेश

कोविड–19 के बढ़ते केसेस को दृष्टिगत् रखते हुए, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने पूर्व पत्र सं0–1941/LXXXVII-CPC/e-Courts/: Allahabad, दिनांकित–05.04.2021 व पत्र सं0–1944/LXXXVII-CPC/e-Courts/: Allahabad, दिनांकित–14.04.2021 एवं 1945/LXXXVII-CPC/e-Courts/: Allahabad, दिनांकित–22.04.2021 में दिए गए निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए पत्र सं0–1946/LXXXVII-CPC/e-Courts/: Allahabad, दिनांकित–26.04.2021 के माध्यम से न्यायिक कार्य निष्पादन हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

माननीय न्यायालय के उपरोक्त पत्र सं0–1946/2021 में दिए गए निर्देशों के प्रकाश में चन्दौसी बार एसोसिएशन, चन्दौसी, जनपद सम्भल के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष से वार्ता की गयी, उनके द्वारा भी वर्तमान में कोविड–19 के संक्रमण के बढ़ते मामलों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कार्य निष्पादन हेतु **Virtual mode /Video conferencing** के माध्यम से **JITSI Video-conference software** का प्रयोग करते हुए सुनवाई किए जाने पर सहमति प्रकट की गयी।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र सं0–1941, 1944 व 1945 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन हेतु पारित किए गए प्रशासनिक आदेश सं0–53/2021, 60/2021 एवं 77/2021 में, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त पत्र सं0–1946, दिनांकित–26.04.2021 में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

1. माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम निर्देशों तक केवल फ्रेश आवश्यक मामले, जैसे–फ्रेश जमानत प्रार्थना–पत्र, रिलीज आदेश एवं धारा–164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान अंकित किए जाने एवं रिमाण्ड से संबंधित कार्य ही निष्पादित किये जायेंगे।
2. उपरोक्त कार्य से संबंधित मामलों की सुनवाई **Virtual mode /Video conferencing** के माध्यम से न्यायालय के कन्टेनमेन्ट जोन से बाहर होने की स्थिति में न्यायालय कक्ष से तथा न्यायालय के कन्टेनमेन्ट जोन में होने की स्थिति में संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने आवासीय कार्यालय से की जायेगी।
4. रिमाण्ड/विचाराधीन बन्दियों की ओर से प्रेषित किए गए अन्य प्रकीर्ण प्रार्थना–पत्रों से संबंधित न्यायिक कार्य केवल वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो रिमाण्ड/अन्य न्यायिक कार्य के लिए **JITSI Video-conference software** का भी प्रयोग किया जा सकता है।
5. जनपद न्यायालय की डेडीकेटेड ई–मेल–**districtcourtsambhal@gmail.com** के माध्यम से दोपहर 12.00 बजे तक फ्रेश जमानत प्रार्थना–पत्र/फ्रेश अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अथवा अन्य अति आवश्यक प्रार्थना–पत्र प्राप्त किये जा सकेंगे, 12.00 बजे के उपरान्त ई–मेल पर प्राप्त होने वाले संबंधित आवेदनों को अगले कार्य दिवस में प्राप्त किया जायेगा। इसके पश्चात् उक्त नये वादों व प्रार्थना–पत्रों को सी.आई.एस. पर पंजीकृत किया जायेगा तथा संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्तुत किए गए प्रार्थना–पत्र पर अधिवक्ता एवं वादकारियों का विवरण एवं मोबाइल नम्बर, ईमेल आई.डी. अंकित किया जाना आवश्यक होगा। कोई कमी होने पर संबंधित अधिवक्ता को उसी दिन सूचित किया जायेगा, सिस्टम ऑफीसर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
6. नोडल ऑफीसर कम्प्यूटर, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से कार्य किए जाने के संबंध में संबंधित न्यायालयों के लिए टाइम स्लॉट निर्धारित करेंगे।
7. माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम निर्देशों तक न्यायालय परिसर में विद्वान् अधिवक्तागण/वादकारीगण, स्टाम्प वैण्डर, एवं अधिवक्तागण के क्लर्क आदि का प्रवेश पूर्णतया निषेध रहेगा।
10. संबंधित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/महामंत्री व अन्य पदाधिकारीगण सम्मानित अधिवक्तागण व उनके क्लर्क आदि के लिए अपने स्तर से दिशा निर्देश जारी करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन कराने में सहयोग करेंगे।
12. संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण न्यायिक कार्य निष्पादन हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रकाश में आवश्यकतानुसार कम–से–कम कर्मचारीगण को कार्य

करने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे तथा कर्मचारीगण को कमावर्तन(Rotation) तौर पर कार्य करने हेतु उपस्थित आने के लिए निर्देशित करेंगे। मुख्यालय पर चतुर्थ श्रेणी व तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को मिलकार अधिकतम 10 कर्मचारीगण न्यायिक कार्य सम्पादन के लिए उपस्थित आयेंगे।

उपरोक्त व्यवस्था दिनांक–28.04.2021 से माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेश तक प्रभावी होगी।

इस आदेश की एक प्रतिलिपि जनपद न्यायालय की ऑफिसियल वेबसाईट पर अपलोड की जाये तथा एक प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, सम्भल को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि समस्त समाचार–पत्रों में इस आदेश का प्रकाशन करायें।

नोट– उपरोक्त समस्त व्यवस्था बाहय न्यायालय सम्भल एवं बाहय न्यायालय गुन्नौर में भी पीठासीन अधिकारी / उपनाजिर द्वारा करायी जानी सुनिश्चित की जाये।

जनपद न्यायाधीश, 27/4/2021
सम्भल स्थित चंदौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं अन्य समस्त न्यायिक अधिकारीगण,
2. जिलाधिकारी, सम्भल,
3. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल,
5. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद,
6. संयुक्त निदेशक, अभियोजन, सम्भल,
7. जनपद सम्भल की सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्षगण को,
8. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), सम्भल,

जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चंदौसी। 27/4/2021